संख्या-13/2023/001-327/60-1-2023

प्रेषक,

सुनील कुमार यादव
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 31 मार्च, 2023**

विषय:- मिशन वात्सल्य योजना (सी0पी0एस0) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-448/म0क0निदे0/प्रोबे0/मिशन वात्सल्य-बजट-3/2022-23, दिनांक 28.03.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मिशन वात्सल्य योजना (सी0पी0एस0) के अन्तर्गत संचालित स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम हेतु लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं-15-बाल संरक्षण इकाई की स्थापना के अन्तर्गत मानक मद संख्या-20-सहायता अनुदान-सामान्य-(गैर वेतन) में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के अतिरिक्त कुल रू0 1,27,15,200/- (रूपये एक करोड़ सताईस लाख पन्द्रह हजार दो सौ मात्र) की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(3) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(5) जिस मद से धनराशि सक्रंमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 1,27,15,200/- (रूपये एक करोड़ सताईस लाख पन्द्रह हजार दो सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 049 लेखा शीर्षक** 2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.) **मानक मद 20** सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-RE-budget-1-734, दिनांक 31.03.2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव

संख्या-13/2023/001-327/60-1-2023, तद्दिनांक।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
6- गार्ड फाइल।

(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।